

उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या- उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/4/24

दिनांक 22.04.2024

मण्डल रेल प्रबंधक- अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

संरक्षा सर्कुलर - 04/2024

विषय:- मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल ।

3.75. मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पास करना:-

- (1) यदि लोको पायलट को कोई मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल 'ऑन' मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को सिगनल के पहले रोक लेगा और यदि सिगनल के खम्भे पर टेलीफोन लगा हुआ है तो उसके पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ संपर्क स्थापित करेगा।
- (2) यदि मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल खराब है तो स्टेशन मास्टर, विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रूप में, लोको पायलट को उस सिगनल को पास करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
- (3) यदि टेलीफोन नहीं लगा है या खराब है तो लोको पायलट सिगनल पर 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद उसे 'ऑन' स्थिति में पास करेगा तथा यदि उसे सामने की लाइन भली प्रकार दिखाई पड़ रही है तो वह अधिक से अधिक 15 किलोमीटर प्रति घंटे अन्यथा अधिक से अधिक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा और उस खराबी की रिपोर्ट अगले ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को करेगा।
- (4) मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल का प्रचालन करने वाला ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन मास्टर, सिगनल खराब होने ही सूचना पाने पर गाड़ी को भेजने से पहले, मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट से अगले ब्लॉक स्टेशन तक के पूरे सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानेगा और लोको पायलट को, विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार, खराब हुए मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'ऑन' स्थिति में, सिगनल पर बिना रुके, पास करने के लिए लिखित प्राधिकार देगा।

स.नि.3.75.(1) 'ऑन' स्थिति में, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को पार करना-

(i) जब लोको पायलट कोई मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल 'ऑन' स्थिति में पाता है तो वह सिगनल से पहले अपनी गाड़ी को खड़ा कर देगा और लगातार लम्बी सीटी बजाकर ट्रेन मैनेजर को इस बात से अवगत करायेगा और पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से उस अभिप्राय के लिए सिगनल खम्भे पर लगे टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करेगा।

(ii) लोको पायलट द्वारा टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किये जाने के बाद यदि स्टेशन मास्टर पाता है कि सिगनल खराब है तो वह अगले स्टेशन से गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर प्राप्त कर लेने के बाद लोको पायलट को मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करने के लिए और ब्लॉक खंड में आगे प्रवेश करने के लिए अनुमति देगा। वह लोको पायलट को उस प्राइवेट नम्बर को बतायेगा जिसके अर्न्तगत अगले स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त किया था।

(iii) यदि मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल खम्भे/खम्भों पर लगा टेलीफोन खराब है और लोको पायलट पिछले स्टेशन से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पा रहा है तो लोको पायलट सिगनल पर 5 मिनट तक प्रतीक्षा करेगा और यदि इस अवधि के भीतर सिगनल 'ऑफ' स्थिति में नहीं हो जाता तो वह, एक लम्बी सीटी, यदि आवश्यक हो तो दुबारा, बजाकर इस बात से ट्रेन मैनेजर को अवगत कराने के बाद और उसके साथ "सब ठीक है" सिगनल का आदान प्रदान करने के बाद मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करेगा और अगले ब्लॉक सेक्शन में सावधानीपूर्वक बढ़ेगा जब मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को इस प्रकार से पार किया जाता है और यदि दृश्यता ठीक है तो गाड़ी की रफ्तार 15 कि.मी.प्र.घं.से अधिक नहीं होगी जहाँ, किसी कारण वश आगे की लाइन साफ-साफ दिखाई नहीं पड़ती हो, तो लोको पायलट बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, जो किसी भी स्थिति में 8 कि.मी.प्र.घं. से अधिक नहीं होगी। मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल से अगले ब्लॉक स्टेशन से पहले रोक सिगनल तक लोको पायलट बहुत सतर्क और

सावधान रहेगा और रुकावट देखने के लिए चौकस रहेगा ताकि वह किसी भी सम्भावित बाधा से पहले हमेशा रुकने की स्थिति में रह सके। आगे ब्लॉक स्टेशन पर पहुँचने पर लोको पायलट सिगनल/टेलीफोन जैसी भी स्थिति हो, की खराबी को स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

(iv) जब लोको पायलट "ऑन" स्थिति में आई.बी.एस. सिगनल को पार करेगा, वह सामान्य नियम 3.75(3) के बताये अनुसार सावधानी से आगे बढ़ेगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना तब तक जारी रखेगा जब तक कि वह अगले स्टॉप सिगनल के पास तक नहीं पहुँच जाता और यदि वह सिगनल भी "ऑफ" स्थिति में पाता है तो भी लोको पायलट किसी संभावित रुकावट की लगातार निगरानी रखेगा और वहाँ पहुँचने के पश्चात् इसके संकेतों के आधार पर कार्य करेगा।

(v) किन्तु यदि मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल से ठीक पहले के ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ज्ञात है कि इस प्रकार का सिगनल खराब है तो वह गाड़ी भेजने से पहले, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल तथा आगे के ब्लॉक स्टेशन के बीच के ब्लॉक सेक्शन के लिए लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा और लोको पायलट को सिगनल पर बिना रुके "ऑन" स्थिति में मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को पार करके आगे जाने का लिखित प्राधिकार देगा। ऐसे प्राधिकार पत्र पर पृष्ठांकन कर दिया जायेगा कि अगले स्टेशन तक के ब्लॉक सेक्शन के लिए लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है और अगले ब्लॉक सेक्शन के स्टेशन मास्टर से प्राप्त किये गये प्राइवेट नम्बर का भी उल्लेख किया गया है।

नोट:- उन खण्डों पर जहाँ ढाल और अन्य स्थानीय परिस्थितियों के कारण, लोको पायलट अपने इंजन को छोड़ नहीं सकता हो, ऐसी सम्भावनाओं का सामना करने के लिए विशेष नियम निर्धारित किये जा सकते हैं।

स.नि.3.75.(2) (क) यदि मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के दोनों ओर के स्टेशनों पर लगे ब्लॉक यंत्र या मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के पीछे के स्टेशन का अन्तिम रोक सिगनल या अन्तिम रोक सिगनल के आगे की ट्रेक सर्किटिंग या एक्सल काउन्टर विफल हो जाये तो मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को खराब माना जायेगा और सहायक नियम 3.75(1)(v) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

(ख) एक्सल काउन्टर और मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल की विफलता की स्थिति में अपनायी जाने वाली कार्यविधि का ब्यौरा संबंधित स्टेशनों के स्टेशन संचालन नियमों में शामिल किया जायेगा।

स.नि.3.75.(3) मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल का संचालन करने वाले ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन मास्टर उस समय तक तीसरी गाड़ी को नहीं भेजेगा जब तक अगले ब्लॉक स्टेशन से पहली गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राप्त नहीं हो जाती।

सर्व सम्बन्धित इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें।


22/4/24
प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रति:-

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :-अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.- को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव- अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

महाप्रबंधक के सचिव- महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।